

न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी : हिमांशु गुप्ता, आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 5/2018

अपीलार्थी—

बालसिंह पुत्र उदयसिंह जाति
राजपूत निवासी रतनुओं की ढाणी
तहसील शिव जिला बाड़मेर

बनाम

उत्तरदाता—

राजस्थान सरकार जरिये
तहसीलदार शिव

राजस्व प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 विरुद्ध निर्णय दिनांक 17.06.2016 जो प्रकरण सं. 6/2016 में तहसीलदार शिव द्वारा पारित किया गया।

उपस्थिति :-

1. श्री महेन्द्र रामावत एवं श्री हसन खां, अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से उपस्थित।
2. सरकारी पैरोकार, उत्तरदाता की ओर से उपस्थित।

आदेश

दिनांक : 04/02/2019

अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार शिव द्वारा प्रकरण सं. 6/2016 सरकार बनाम बालसिंह में पारित निर्णय दिनांक 17.06.2016 के विरुद्ध पेश की गई है।

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह है कि पटवारी हल्का भियाड़ द्वारा तहसीलदार शिव के समक्ष एक रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा भियाड़ के खसरा नम्बर 589 रकबा 308-02 बीघा किस्म गैर मुमकीन मगरा सरकारी भूमि में से 180 वर्गफुट भूमि पर गैर सायल बालसिंह द्वारा पक्का कमरा बिना छत का निर्माण कर अतिक्रमण कर लिया है जो अवैध है, जिसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावे। हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर तहसीलदार शिव द्वारा प्रकरण अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, के अन्तर्गत दर्ज कर गैर सायल को जरिये नोटिस


जिला कलक्टर
बाड़मेर



जवाब हेतु तलब किया गया। गैर सायल ने दौरान सुनवाई उपस्थित होकर अभिकथन किया कि जुर्माना जमा करवाने हेतु सहमत हूँ तथा आयन्दा अतिक्रमण नहीं करूंगा। इस पर तहसीलदार शिव द्वारा गैर सायल को मुतनाजा भूमि पर अवैध कब्जा करने के लिए अतिक्रमी घोषित कर निर्णय दिनांक 17.06.2016 के द्वारा 5/- रुपये जुर्माना अधिरोपित कर भूमि से बेदखल करने का अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। इस आदेश से व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील हमारे समक्ष प्रस्तुत की है। अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश का पूर्व में ज्ञान नहीं होने से जानकारी तिथी से अपील को अंदर मयाद शुमार करने का निवेदन किया। अपीलांट ने अपील के साथ धारा 5 परिसीमा अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र भी पेश किया है।

3. अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोंडेंट को जरिये समन तलब किया एवं अपीलाधीन आदेश से सम्बन्धित पत्रावली तलब कर अवलोकन किया।



4. हमने दोनों पक्षों की बहस सुनी। अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता निवेदन किया कि अपीलांट ने मौजा भियाड़ के खसरा नम्बर 589 रकबा 308-02 बीघा किस्म गैर मुमकीन मगरा सरकारी भूमि पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं किया है बल्कि अपीलांट का स्वयं का एक भूखण्ड आबादी क्षेत्र में स्थित है। आबादी भूमि पर अपीलांट का पुराना कब्जा होने के कारण ग्राम पंचायत भियाड़ द्वारा अपीलांट को दिनांक 05.05.2014 को पट्टा संख्या 12/14 जारी किया गया है। जिस स्थान पर ग्राम पंचायत द्वारा अपीलांट का कब्जा मानकर पट्टा दिया गया था उसी स्थान पर खसरा नम्बर 588 अपीलांट द्वारा दुकान का निर्माण किया गया है। अपीलांट ने किसी भी सरकारी या गैर मुमकीन भूमि पर कब्जा नहीं किया है, पटवारी ने मात्र द्वेष पूर्ण तरीके से अपीलकर्ता को अतिक्रमी मानते हुए रिपोर्ट अधिनस्थ न्यायालय में पेश की गई है तथा अधिनस्थ न्यायालय द्वारा भी अपीलांट को सुनवाई का नोटिस तो दिया गया था पर वे उपस्थित हुए तब उनको कहा कि आप

44
जिला कोलक्टर
बाड़मेर

द्वारा रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण किया है तब अपीलकर्ता ने मना किया तब यह बात कही कि आप यह लिख देवे कि आयन्दा अतिक्रमण रास्ते की भूमि पर नहीं करोगे तब अपीलकर्ता ने उनके कहे अनुसार लिखकर हस्ताक्षर किये हैं। इसके बाद दिनांक 01.01.2018 को रेस्पोंडेंट, अपीलांट की दुकान पर आया और अपीलांट को उक्त दुकान सीज करने का कहकर वहां पर चस्पा किया तब अपीलांट ने तहसील कार्यालय में जाकर उक्त प्रकरण की सम्पूर्ण नकल ली तब अपीलांट को उक्त एकपक्षीय निर्णय का ज्ञान हुआ। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश का ज्ञान होने की तिथि से यह अपील अन्दर मयाद प्रस्तुत है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जावे एवं अपीलाधीन निर्णय/आदेश दिनांक 17.06.2016 को निरस्त फरमाया जावे।

5. रेस्पोंडेंट की ओर से जवाब में पैरोकार सरकार ने प्रकट किया है कि अपीलांट के विरुद्ध हल्का पटवारी की ओर से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार अपीलांट द्वारा मौजा भियाड़ के खसरा नम्बर 589 रकबा 308-02 बीघा किस्म गैर मुमकीन भूमि में से 180 वर्गफुट पर अवैध कब्जा कर अतिक्रमण किया है, इस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत कार्यवाही संस्थित कर अपीलांट को नोटिस व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया। दौरान सुनवाई में अपीलांट द्वारा उपस्थित होकर प्रकट किया कि निर्धारित जुर्माना जमा कराने हेतु तैयार हूँ व आयन्दा अतिक्रमण नहीं करूंगा। इस प्रकार अपीलांट द्वारा सरकारी भूमि पर स्वयं कब्जा कर अतिक्रमण करना स्वीकार किया है तथा इस पर अपीलांट पर जुर्माना अधिरोपित करते हुए सरकारी भूमि से बेदखल करने का जो अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है वह पूर्णतया विधि अनुकूल एवं उचित है, लिहाजा अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज की जाए।

6. हमने दोनों पक्षों के तर्कों पर मनन किया। अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अपीलांट ने इस अपील के संलग्न अपने कब्जा व अधिपत्य को ग्राम पंचायत भियाड़ के द्वारा उसके पक्ष में जारी आबादी के पट्टा सं. 12/2014 के अन्तर्गत होना अभिकथित किया है। प्रस्तुत पट्टा




जिला कलेक्टर
बाड़मेर

अभिलेख ग्राम पंचायत द्वारा नियम 157 राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1996 के अन्तर्गत भूमि में पुराने गृहों का विनियमितीकरण का जारी किया जाना प्रकट होता है किन्तु उक्त पट्टा आबादी भूमि के किस खसरा नम्बर के लिये जारी किया गया है, कहीं उल्लेखित नहीं है तथा न ही खसरा नम्बर 589 गैर मुमकीन मगरा की भूमि ग्राम पंचायत को आबादी प्रयोजनार्थ आवंटित किये जाने का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी आदेश का उल्लेख किया गया है। पट्टा जारी करने के लिए नियमितीकरण बाबत राशि 260/- जमा कराने की रसीद संख्या का कॉलम भी रिक्त है, इसके अलावा उक्त पट्टा ग्राम पंचायत के अनुमोदित प्लान का कहीं विवरण नहीं दिया गया है। ऐसे में ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया गया उक्त पट्टा संदिग्ध प्रतीत होता है, जिसकी जांच मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद बाड़मेर से करवाई जानी आवश्यक प्रतीत होती है। इस प्रकार अपीलांट द्वारा सरकारी भूमि पर नाजायज कब्जा करने के उद्देश्य से उक्त पट्टा जारी करवाया गया है तथा वर्ष 2014 में पुराने गृहों के विनियमितीकरण के अन्तर्गत पट्टा जारी करवाये जाने के बाद वर्ष 2016 में उक्त पट्टे की आड़ में सरकारी भूमि पर कब्जा करने पर हल्का पटवारी द्वारा धारा 91 की रिपोर्ट अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है जहां अपीलांट ने स्वयं ही अतिक्रमण किया जाना स्वीकार किया है। इस आधार पर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील स्वयं अपीलांट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष किये गये अभिकथन के आधार पर सारहीन एवं आधारहीन होने से खारिज योग्य है।

7. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह प्रथम अपील सारहीन व आधारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार शिव द्वारा पारित किया गया अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.06.2016 यथावत बहाल रखा जाता है। इसके अलावा निर्णय की प्रति मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद बाड़मेर को प्रेषित कर लेख है कि अपीलांट के पक्ष में जारी पट्टा के संबंध





जिला कोलंबटार
बाड़मेर

मे जांच कर किसी प्रकार अनियमितता व अवैधानिकता पाये जाने पर पट्टा जारी कर्ता सरपंच ग्राम पंचायत एवं ग्रामसेवक के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करावें।



आदेश आज दिनांक 04.02.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(हिमांशु गुप्ता)

जिला कलेक्टर, बाड़मेर
बाड़मेर